

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| <p>1- मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर
विकास प्राधिकरण, देहरादून।</p> <p>3- उपाध्यक्ष,
समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।</p> | <p>2- उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
हरिद्वार/देहरादून।</p> <p>4- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
देहरादून।</p> |
|--|--|

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 15 सितम्बर, 2020

विषय:-भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) के प्रस्तर-7.14 के उप प्रस्तर-(II) एवं (III) में संशोधन किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सम्यक् विचारोपरांत लिए गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) के प्रस्तर-7.14 के उप प्रस्तर-(II) एवं (III) की तालिकाओं को इण्डियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार परिभाषित "अर्बन एरिया" के मानक सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

7.14 (II) भूखण्ड की स्थिति एवं अपेक्षाएं :-

क्र.सं.	अपेक्षाएं	मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमा के बाहर	मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमान्तर्गत/राष्ट्रीय राजमार्ग का वह क्षेत्र, जिसमें 20,000 से अधिक आबादी स्थित है/पर्वतीय क्षेत्र में
1.	पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	30.0 मीटर	18.0 मीटर
2.	मार्ग के एक ओर दो फिलिंग स्टेशन की परस्पर दूरी	एक किलोमीटर	30.00 मीटर
3.	मार्गों के क्रासिंग/टी-जंक्शन से फिलिंग स्टेशन का प्रवेश व निकास की न्यूनतम दूरी	60.0 मीटर	60.0 मीटर
4.	फिलिंग स्टेशन में प्रवेश करने व बाहर निकलने के मार्गों की चौड़ाई	9.0 मीटर	7.50 मीटर व फिलिंग कम सर्विस स्टेशन हेतु 9.0 मी०

(III) भूखण्ड का आकार :

	मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमा के बाहर	मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमान्तर्गत /राष्ट्रीय राजमार्ग का वह क्षेत्र, जिसमें 20,000 से अधिक आबादी स्थित है/पर्वतीय क्षेत्र में	एफ0ए0आर0
फिलिंग स्टेशन	35.0 X 35.0 वर्गमीटर	20.0 X 20.0 वर्गमीटर	0.05
		एलपीजी, सीएनजी-30.0 X 30.0 वर्गमीटर	
फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन	35.0 X 45.0 वर्गमीटर	25.0 X 30.0 वर्गमीटर	0.15
		एलपीजी, सीएनजी-35.0 X 40.0 वर्गमीटर	
फिलिंग-कम-सर्विस स्टेशन-कम-डिपार्टमेंटल शोरूम	37.0 X 47.0 वर्गमीटर	25.0 X 35.0 वर्गमीटर	0.20
		एलपीजी, सीएनजी-35.0 X 45.0 वर्गमीटर	

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या - /V-2/2020-56 (आ0) / 2016, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- 1- निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 - 2- सचिव, विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार।
 - 3- सचिव, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
 - 4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्पण कुमार राजू)
उप सचिव